सं.1/4/2021-पी & पी डब्ल्यू (ई) भाग-I
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
(डेस्क-ई)

तीसरा तल, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 19 जनवरी, 2022

सेवा में,

सभी पेंशन संवितरण बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(ई-मेल द्वारा)

विषयः सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति के माध्यम से किसी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त बच्चे की बाबत कुटुंब पेंशन का संदाय

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के अनुसार किसी मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के बच्चे को, जो किसी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्तहै या शारीरिक रूप से निःशक्त है, जिससे वह पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी जीविकोपार्जन करने में असमर्थ हो, कुटुंब पेंशन, कुछ शर्तों के अध्यधीन, आजीवन संदेय है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(9)(ज)(iv) (केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54(6) के दूसरे परंतुक का खंड (iii))के अनुसार, ऐसे पुत्र या पुत्री को, जो मानसिक मंदता सहित किसी भी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त हो, कुटुंब पेंशन का संदाय,संरक्षक के माध्यम से किया जाएगा, जैसे वह अवयस्क हो।

3. सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(9)(ज)(vii) (केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54(6) के दूसरे परंतुक का खंड (vi)) में, तथापि यह प्रावधान है कि मानसिक रूप से मंद पुत्र या पुत्री की दशा में, कुटुंब पेंशन, यथास्थिति, सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति को संदेय होगी और यदि ऐसे सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी द्वारा उसके जीवनकाल के दौरान कार्यालय अध्यक्ष को ऐसा कोई नाम निर्देशन प्रस्तुत नहीं किया गया हो, तो तत्पश्चात यथास्थिति, ऐसे सरकारी कर्मचारी या कुटुंब पेंशनभोगी के पति/पत्नी द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति को, कुटुंब पेंशन संदेय होगी। किसी स्थानीय स्तर की समिति द्वारा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 14 के अधीनजारी किया गया संरक्षकता प्रमाणपत्र भी, उक्त अधिनियम में यथा उपदर्शित स्वरपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुल निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति की बाबत कुटुंब पेंशन की मंजूरी के लिए संरक्षक के नाम निर्देशन या उसकी नियुक्ति के लिए स्वीकार किया जाएगा।

4. इस विभाग के संज्ञान में लाया गया है कि इस तथ्य के बावजूद कि मानसिक रूप से मंद बच्चे को जारी किए गए पेंशन संदाय आदेश में नाम निर्देशन को विधिवत सम्मिलित किया गया है, कुछ मामलों में, पेंशन संवितरण बैंक केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(9)(ज)(vii) (केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54(6) के दूसरे परंतुक का खंड (vi)), के अनुसार पेंशनभोगी या उसके पति/पत्नी द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति के माध्यम से मानसिक रूप से मंद बच्चे की बाबत कुटुंब पेंशन की अनुज्ञा नहीं दे रहे हैं।ये बैंक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से कुटुंब पेंशन कासंदाय करने का आग्रह करते हैं जिसके पास न्यायिक अदालत द्वारा जारी किया गया संरक्षकता प्रमाण पत्र हो।

5. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(9)(ज) में खंड (vii) का उद्देश्य मानसिक निःशक्तता से ग्रस्त बच्चे को अदालत से संरक्षकता प्रमाणपत्र प्राप्त करने और उसके माता-पिता की मृत्यु के पश्चात कुटुंब पेंशन का दावा करने में होने वाली किसी भी परेशानी से बचाना है। इस नियम के अनुसार, सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी या उसका पति/पत्नी मानसिक रूप से मंद बच्चे को संदेय कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को नाम निर्देशित कर सकता है। ऐसे मामलों में, जहां किसी सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा ऐसा नाम निर्देशन प्रस्तुत किया गया हो, न्यायिक अदालत द्वारा जारी किए गए संरक्षकता प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है।

6. तदनुसार, ऐसे मामलों में जहां सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा किए गए नाम निर्देशन को मानसिक निःशक्तता से ग्रस्त बच्चे को जारी किए गए पेंशन संदाय आदेश में सम्मिलित किया गया है, यह पेंशन संवितरण बैंकों की ज़िम्मेदारी है कि वे ऐसे नाम निर्देशित व्यक्ति के माध्यम से ऐसे बच्चे कोकुटुंब पेंशन संवितरित करें। ऐसे मामलों में बैंकों द्वारा संरक्षकता प्रमाणपत्र के लिए आग्रह करना, ऐसे नाम निर्देशन करने के उद्देश्य को विफल कर देगा और सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 2021 के सांविधिक उपबंधों का उल्लंघन भी होगा।

7. यह अनुरोध किया जाता है कि आपके बैंक की सीपीपीसी/पेंशन संदाय शाखाओं को सीसीएस (पेंशन) नियमों के सांविधिक उपबंधों के अनुसार सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति के माध्यम से मानसिक रूप से मंद बच्चे की बाबत कुटुंब पेंशन के संदाय के लिए उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएं और ऐसे मामलों में अदालत द्वारा जारी किए गए संरक्षकता प्रमाणपत्र की मांग न की जाए। सभी पेंशन संवितरण शाखाओं को भी इन निर्देशों की अभिप्राप्ति की सूचना देने के निर्देश दिए जाएं।

8. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

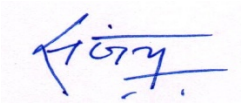

(संजय शंकर)
उप सचिव, भारत सरकार
फोन: 24635979

प्रतिः

1. लेखा महानियंत्रक
2. केंद्रीय वेतन और लेखा अधिकारी
3. सभी पेंशन संवितरण बैंकों के सीपीपीसी
4. सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग को सूचनार्थ